UPMZ010046982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1872 सन 2026

सुशील उर्फ भूरा पुत्र स्व. सोबीर
निवासी गाम सोंहजनी थाना जानसठ
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—27 सन 2026
धारा—103 (1) भारतीय न्याय संहिता
थाना—जानसठ
जनपद— मुजफ्फरनगर

22.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना जानसठ, जनपद मुजफफरनगर के अपराध संख्या—27 सन 2026 धारा—103 (1) भारतीय न्याय संहित के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि वादी मुकदमा व उसका पति मृतक विकास तथा आवेदक/अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले हैं। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवार की वादी मुकदमा या मृतक विकास से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी और न ही प्राथमिकी में दर्शित की गयी है जिस कारण धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता का कोई अपराध नहीं बनता है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि घटनास्थल झूठा व फर्जी दर्शाया गया है। वास्तविक्ता यह है कि दिनांक 04.03.2025 को होली का पर्व था और आवेदक/अभियुक्त व मृतक विकास व उसके परिजन शराब पी रहे थे। शराब पीते समय काफी भीडभाड इकठठा हो गयी थी। वादी पक्ष के लोगों ने आवेंदक/अभियुक्त व उसके भाई प्रवेश के साथ लाठी डंडो से मारपीट की तथा भीड की धक्का मुक्की में विकास को चोट लग गयी। आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त को आयी चोटों का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.22 17:40:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त 60 प्रतिशत पोलियोग्रस्त विकलांग है तथा विकलांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करते हुए कहा गया है किम कथित घटना में उसकी संलिप्तता की कोई संभावना नही है बल्कि उसे सह अभियुक्त प्रवेश का भाई होने के कारण इस मामले में झूठा नामित किया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व जान से मारने का आशय साबित नहीं होता है क्योकि आवेंदक/अभियुक्त के पास न तो कोई घातक हथियार दर्शाया गया है और न ही घटना का कोई मोटिव है और न ही कोई पुरानी दुश्मनी दर्शायी गयी है। घटनास्थल की वादी मुकदमा के घर की विडियो आवेदक/अभियुक्त के पास सुरक्षित है। कथित मामला रास्ते का झूठा व फर्जी दर्शाया गया है तथा वादी का घर होते हुए मृतक विकास के साथ मुल्जिमान द्वारा मारपीट करना अस्वाभाविक है।

अंत में कहा गया है कि अपराध धारा 109 (1) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत हुआ था ओर दिनांक 16.03.2026 को धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता में तरमीम किया गया है। मृतक विकास का कोई डीडी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह झूठी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 05.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। आवेदक/अभियुक्त विकलांग होने के कारण धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता का लाभ पाने का अधिकारी है। इस प्रकार जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, खारजा आदेश, चिक एफआईआर., जीडी संख्या 27 दिनांकित 05.03.2026 समय 14.45 बजे की प्रति, आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त के चिकित्सीय प्रमाण पत्र दिनांकित 05.03.2026 की प्रतियां तथा आवेदक/अभियुक्त के विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति दाखिल की गयी है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि कथित घटना का हेतु होली खलने के दौरान हुए झगड़े से उत्पन्न हुआ है जैसा कि अनुज सिवाच के बयान से जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि घटना का समर्थन साक्षीगण मनोज, दिनेश, जयकिन्दर द्वारा किया गया है तथा वादी मुकदमा ने भी घटना का समर्थन किया है। दौरान उपचार मृतक की मृत्यु दिनांक 09.03.2026 को हुई है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पर विकलांगता प्रमाण पत्र होने मा से ही अभियुक्त की घटना में संलिप्तता का तथ्य ना साबित नहीं माना जा सकता क्योंकि आवेदक/अभियुक्त ने अपने भाई के साथ घटना कारित की है और आवेदक/अभियुक्त की खून लगी शर्ट की बरमादगी के साथ साथ कथित घटनास्थल से खून आलूदा तीन डंडों की भी बरामदगी की गयी है। इस प्रकार अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा मूल तलबीदा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिया मुकदमा श्रीमती शालू उर्फ पिंकी द्वारा घटना दिनांकित 04.03.2026 समय 16.30 बजे ग्राम सोहजनी में घटित

होने के संबंध में दिनांक 04.03.2026 को 19.:17 बजे थाना जानसठ पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 04.03.2026 को समय करीब साढे चार बजे उसका पति विकास गांव में प्रवेश के घर के सामने से निकल रहा था कि प्रवेश व उसके भाई सुशील उर्फ भूरा ने उसके पति पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे उसके पति को काफी गंभीर चोटें आयी। वादिया के पति की हालत बहुत गंभीर है। निवेदन है कि प्रवेश व सुशील के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी धारा 109 (1) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीकृत की गयी थी। दौरान उपचार दिनांक 09.03.2026 को उपचार के दौरान वादिया मुकदमा के पति विकास कुमार की मृत्यु आनन्द हॉस्पीटल मेरठ में होने के कारण मामले को धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता में तरमीम किया गया।

इस प्रकार अभियोजन कथनक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादिया मुकदमा के पति विकास कुमार को मारपीट कर हत्या कारित करने का आरोप बताया गया है।

तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादिया मुकदमा के पति विकास कुमार को चुटैल अवस्था में सरकारी अस्पताल खतौली ले जाया गया था जहां से उसकी हालत गंभीर होने के कारण रेफर किया गया तथा जिसे आनन्द हॉस्पीटल मेरठ ले जाया गया। आनन्द हॉस्पीटल की एमएलसी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि :–

This is a case of head injury e facial injury occur due to assault at wound 5.30 PM on 04.03.2026. Pateint had history of loss of conceciousness, no vomiting, ENT bleed present (Nasal), no episide of seizure noted.

मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. Surgical stitched wound (18 staples and 12 stitches) 30 cm long starting along right temporal area, 1 cm above right ear and turning towards middle of parietal area of skull.
2. Stitched wound (5 stitches) 4 cm long in right temporal region, 7 cm above right ear.
3. Stitched wound (5 stitches) 4 cm long in right parietal region, 4 cm above from right eyebrow and 3 cm above injury number 2.
4. Surgically stapled wound (4 staples) of size 3 cm length in left side back of head, 4 cm behind left ear.

मृतक की मृत्यु का कारण Cranio-cerebral damage as a result of ante mortem head injuries अंकित किया गया है।

विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा वादिया मुकदमा का बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया। इसी प्रकार विवेचक द्वारा साक्षी अनुज सिवाच को बयान

अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस अंकित किया गया है जिसमें उसने कथन किया है कि दिनांक 04.03.2026 को उनके मौहल्ले का विकास की गांव के प्रवेश व सुशील उर्फ भूरा से होली खेलने के दौरान कहासुनी हो गयी थी। इसी बात को लेकर शाम के करीब साढे चार बजे जब विकास, प्रवेश व सुशील के घर के सामने से निकल रहा था तो प्रवेश व सुशील उर्फ भूरा दोनों भाईयों ने विकास को अपने घर में अन्दर खीचकर डंडो से जान से मारने की नीयत से हमला किया था जिससे विकास का सिर बुरी तरह से फट गया था। शोर सुनकर मौके पर गांव के दिनेश कुमार, जयकिन्दर, मनोज कुमार आ गये थे। दोनो भाई प्रवेश व सुशील घर से जिन डंडो से विकास पर हमला किया था। उन डंडो को मौके पर ही डालकर भाग गये थे। गांव के दिनेश आदि नहीं आते तो दोनो भाई विकास की मौके पर ही हत्या कर देते।

विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा साक्षीगण दिनेश कुमार, जयकिन्दर व मनोज के भी धारा 180 बीएनएसएस के बयान अंकित किये गये हैं जिनके द्वारा भी घटना का समर्थन करते हुए बताया गया है कि दिनांक 04.03.2026 को शाम करीब साढे चार बजे प्रवेश व सुशील उर्फ भूरा के घर की तरफ से शोर की आवाज आयी तो जाकर देखा कि आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त प्रवेश डंडो से विकास पर जान से मारने की नीयत से हमला कर रहे थे। विकास का सिर बुरी तरह से फट गया थां अभियुक्तगण गवाहान को देखकर डंडे छोडकर भाग गये।

विवेचना के अनुक्रम में दिनांक 05.03.2026 को घटनास्थल से तीन अदद लकडी के डंडे जिन पर खून लगा था, की बरामदगी कही जाती है।

अब तक की विवेचना से आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त प्रवेश के साथ मिलकर वादिया मुकदमा के पति विकास कुमार की डंडो से हमला करके गंभीर चोटें पहुंचाकर हत्या कारित करना इस स्तर पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है तथा उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता, तत्सबंधी दंड, कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत के संबंध में बताये गये आधार उचित एवं पर्याप्त नहीं पाये जाते हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सुशील उर्फ भूरा पुत्र स्व. सोबीर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः 22.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर